न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 20/2025

बउनवान

जगदीश प्रसाद आयु 68 वर्ष पुत्र स्व. लालशंकर जाति ब्राह्मण निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां, राज० अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.06.2025 प्रकरण संख्या 4/2021 वसीयत नामान्तकरण कार्यवाही

उपस्थितः 1. श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक
2. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा (अपीलांट)
3. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेण्ट)

निर्णय दिनांक 13.02.2026

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता लालशंकर की स्वअर्जित कृषि भूमि हाल खसरा नं० 3524 रकबा 2 हेक्टे० कस्बा मांगरोल में स्थित है जिसकी एक वसीयत मृतक लालशंकर द्वारा 30–11–1988 को अपीलांट के पक्ष में कर दी गई थी उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल के समक्ष धारा 135 एल. आरएक्ट में वसीयत इंतकाल की कार्यवाही प्रस्तुत की गई थी जो अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27–6–2025 को खारिज फरमा कर फोती इंतकाल दर्ज करने का विधि विरूद्ध मनमाना व नोनज्यूडिशियल माईण्ड से आदेश प्रदान कर दिया। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वसीयत दिनांक 30–11–1988 स्वअर्जित भूमि के बाबत विक्रय पत्र व वसीयत के गवाहान को प्रस्तुत किया गया था बावजूद इसके बिना किसी उचित कारण के कार्यवाही खारिज फरमाकर निर्णित किया गया है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र वसीयत के गवाह नाथूलाल पुत्र जगन्नाथ माली की अंगूठा निशानी पर क्रम संख्या अंकित न होने के कारण अंगूठा बाद में लगाया जाना मानकर वसीयत को संदिग्ध माना है। कथन है कि गवाह नाथूलाल अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ था ओर वसीयत जांच के दौरान अधिनस्थ न्यायालय इस सम्बन्ध मे पूछताछ कर सकता था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र संदेह के आधार पर बिना किसी आधार के वसीयत को संदिग्ध मान लिया अस्तु निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे वसीयत को लिखने वाला गवाह डीड राईटर छोटेलाल वर्मा स्वयं परीरक्षित हुआ है उसके बयानो पर अविश्वास का क्या कारण है अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे उल्लेखित नही किया है। वसीयत की कार्यवाही को साबित करने के लिये दो गवाहान का जरूरी होना अधिनस्थ न्यायालय ने माना है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी रिपोर्ट से यह तथ्य आ चुका था कि वसीयत के दो गवाहान की मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलांट स्वयं डीड राईटर छोटेलाल वर्मा व गवाह नाथूलाल के बयान हुये है बावजूद इसके कार्यवाही खारिज कर विधिक त्रुटि की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने स्वर्गीय लालशंकर जी के अन्य वारिसान को तलब किया था व अखबार साया भी करवाया था परन्तु कोई भी वारिसान अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ अर्थात कार्यवाही कन्टेस्ट नही हुई ओर जब किसी की आपत्ति नही थी तो अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत को संदिग्ध मानकर त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–6–2025 को निरस्त फरमाकर वसीयति इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.02.19 13:12:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस उभयपक्ष हेतु नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र वसीयत के गवाह नाथूलाल पुत्र जगन्नाथ माली की अंगूठा निशानी पर क्रम संख्या अंकित न होने के कारण अंगूठा बाद में लगाया जाना मानकर वसीयत को संदिग्ध माना है। कथन है कि गवाह नाथूलाल अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ था ओर वसीयत जांच के दौरान अधिनस्थ न्यायालय इस सम्बन्ध मे पूछताछ कर सकता था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र संदेह के आधार पर बिना किसी आधार के वसीयत को संदिग्ध मान लिया अस्तु निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे वसीयत को लिखने वाला गवाह डीड राईटर छोटेलाल वर्मा स्वयं परीरक्षित हुआ है उसके बयानो पर अविश्वास का क्या कारण है अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे उल्लेखित नही किया है। वसीयत की कार्यवाही को साबित करने के लिये दो गवाहान का जरूरी होना अधिनस्थ न्यायालय ने माना है बावजूद इसके कार्यवाही खारिज कर विधिक त्रुटि की गई है। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत 2025(1) DNJ (SC) 70 के अनुसार "The Will shall be attested by two or more witnesses. each of whom has seen the testator sign or affix his mark to the Will or has seen some other person sign the Will, in the presence and by the direction of the testator, or has received from the testator a personal acknowledgement of his signature or mark, or the signature of such other person; and each of the witnesses shall sign the Will in the presence of the testator, but it shall not be necessary that more than one witness be present at the same time. and no particular form of attestation shall be necessary." का अवलोकन करवाया।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने वकील अपीलांट के तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि वसीयत को प्रमाणित करने के लिए दो गवाहान का होना जरूरी है। वसीयत पर क्रम संख्या 1 व 2 पर दर्ज गवाहान की मृत्यु हो चुकी है तथा मृतक लालशंकर के वारिसान में से अपीलांट के अलावा अधिनस्थ न्यायालय में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वसीयत पर अंगूठा निशानी वाले गवाह की क्रम संख्या अंकित नहीं है जिससे संशय होता है कि अंगूठा निशानी बाद में करवाई गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वसीयत को प्रमाणित करने के लिये दो गवाहान का होना आवश्यक है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। वसीयत के दो गवाह क्रमशः छोटेलाल वर्मा डीडराईटर एवं नाथूलाल माली ने अपने बयानों से वसीयत को प्रमाणित किया है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2025 खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मांगरोल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक लालशंकर पुत्र राधाकिशन जाति ब्राह्मण निवासी मांगरोल के वसीयतनामा के संबंध में जांच कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.02.19 13:12:17 IST
Reason: SelfAttested